



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8673

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 13985 वर्ष 2025

कुंदन सिंह पटेल @ विशालआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अजीत कुमार सिंह, राज कुमार शर्मा विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : ऐशान्वी मालवीय, शा.अधि., राहुल सिंह, राजेश मिश्रा, राकेश चंद्र

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार शर्मा, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल सिंह तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के.एस. परमार को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 577 वर्ष 2024, धारा 103(1), 3(5), 309(6), 332(A), 317(2), 61(2)(A) BNS तथा 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना रॉबर्टसगंज, जिला सोनभद्र में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है। उसका नाम पहली बार एक सुनील कुमार के समक्ष उसकी न्यायेतर संस्वीकृति में आया है, जिसका कानून की दृष्टि में कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है। उक्त सुनील कुमार का अपने इलाके में कोई प्रभाव नहीं है, अतः उक्त न्यायेतर संस्वीकृति BSA की धारा 22 की श्रेणी में नहीं आती।
5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक पर झूठी बरामदगी थोपी गई है, जो घटना से आठ दिनों की देरी के बाद की गई है, अतः धारा 119 उदाहरण (क) की कठोरता आवेदक के मामले में लागू नहीं होती। आवेदक पर डायरी, चेकबुक, चेक की कुछ पर्चियां, 50,000 रुपये नकद, आभूषण और 0.32 बोर का रिवाल्वर की झूठी बरामदगी थोपी गई है। सीसीटीवी फुटेज भी आवेदक की पहचान नहीं करती। बल्कि यह कहा गया है कि उक्त फुटेज में दिखाई देने वाला व्यक्ति आवेदक प्रतीत होता है। कोई भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त फुटेज में दिखाई देने वाला व्यक्ति आवेदक है। आवेदक दिनांक 18.8.2024 से जेल में है और विचारण में सहयोग करने के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का इस आधार पर बलपूर्वक विरोध किया है कि आवेदक मृतक का एक रिश्तेदार है और वह ऋण व्यवसाय में संलिप्त था तथा उसने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए उक्त अपराध किया है। आवेदक से भारी मात्रा में सामग्री की बरामदगी अपराध में उसकी संलिप्तता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। वह रिवॉल्वर जो मृतक के नाम पर जारी लाइसेंस से मेल खाती है, आवेदक पर झूठी नहीं थोपी जा सकती, अतः आवेदक जमानत पाने का अधिकारी नहीं है।
7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात और उस रिवॉल्वर की बरामदगी को ध्यान में रखते हुए जो मृतक के नाम पर जारी लाइसेंस से मेल खाती है, मैं इसे आवेदक को जमानत देने का उचित मामला नहीं मानता। जमानत आवेदन गुणहीन पाया गया है और तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।
8. तथापि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को यदि कोई विधिक बाधा न हो तो सर्वोच्च न्यायालय के विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) SCC 220 तथा हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 SCC 702 के मामलों में निर्धारित हालिया निर्णयों के सिद्धांत के दृष्टिगत यथाशीघ्र निर्णीत किया जाए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 13 जनवरी, 2026 शालिनी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"